कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक वृत सीकर शहर

क्रमांकः– 5555 दिनांकः– 26.10.2020

माननीय मुख्यमंत्री हेल्प लाईन 181,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः–रिपोर्ट राजस्थान सम्पर्क परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार एस–1 झारखण्ड के सम्बंध में।
प्रसंगः–राजस्थान सम्पर्क ऑन लाईन परिवाद न. 10200678825782 की पालना में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र की पालना में निवेदन है कि परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार एस–1 झारखण्ड का परिवाद बाबत् दिनांक 10.10.2020 को प्रमूख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका जयपुर संस्करण मे प्रकाशित खबर शीर्षक '' चल रही थी फर्जी कोरोना लैब'' जिम्मेदार अनजान के सम्बंध में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त होने पर परिवाद थानाधिकारी थाना कोतवाली सीकर को भिजवाया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई तो पाया गया किः–

जोया मार्केट सालासर बस स्टेण्ड के पास सीकर में फर्जी कोरोना लैब के सम्बंध में अभियोग संख्या 383/2020 धारा 419,420 भा.द.स. पुलिस थाना कोतवाली सीकर पर पंजीबद्व कर अनुसंधान हिदायत अली सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली सीकर द्वारा किया जा रहा है। दौराने अनुसंधान बयान परिवादी व गवाहान लिये गये। निरीक्षण घटना स्थल कर नक्शा मौका मूर्तिब किया गया। प्रकरण हाजा में दीगर अनुसंधान कर आरोपी के विरुद्व अविलम्ब कानुनी कार्यवाही की जावेगी।

रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(रामचन्द्र मूण्ड आरपीएस)
वृताधिकारी
वृत सीकर शहर

Scanned with CamScanner